Uttar Pradesh State Road Transport Corporation
Tehri Kothi, M.G. Marg, Lucknow-226001 (U.P.)
Tel.-0522-2622363,2628461,2629914,
web site-www.upsrtc.com

Letter No.: 03 Pl. Cell/19-34/05 vol-II **Dated: 13 January 2020**

INVITATION: EMPANELMENT OF ARCHITECTS

UPSRTC seeks expression of interest from civil engineering architectural consultancy firms of repute, having post qualification working experience of over **Five Years** and minimum annual turnover through the consultancy projects, of Rs. **Five Lakhs** during previous year, to develop a panel of architects/Firms for a period of **Five Years**, for it's projects of construction of Bus Stations, Work Shops and other civil engineering infrastructure.

Application form containing requisite details and terms & conditions, can be downloaded from our web site: www.upsrtc.com and can be submitted along with cost of application **form Rupees Five hundred + Rupees Ninety (GST)** only in shape of DD/Bankers cheque payable at Lucknow, favouring **"Executive Engineer (west), UPSRTC, Lucknow"**.

The offers containing complete bio-data, credencials and experience in the field, with a security amount of Rs. 10000/- (In the form of bank draft, payable at Lucknow, to the "**Executive Engineer (west),** at UPSRTC (H.Q's), M.G. Marg, Lucknow" on 29.01.2020, **11:00 hrs 15:00 hrs.**

For any further details / enquiry, please contact UPSRTC, H.Q., on any working day.

Executive Engineer (West)

Downloaded from www.upsrtc.com

U.P. State Road Transport Corporation
Tehri Kothi, M.G. Marg, Lucknow-226001 (U.P.)
Tel.-0522-2622363,2628461,2629914,
Fax.-2274578 web site-www.upsrtc.com

SL.No…….. **Cost of Form: Rs. 500/- + Rs. 90/- (GST)**

Received Cash Rs……..

Signature With Seal……..

Application form for empanelment of architects

Issued to Shree/M/S----------

1.	Name of Firm	
2.	Lead Partner/Priprietor	
3.	Professional/ Qualifications	
4.	Post qualification experience	……. Year
5.	Organizational Structure	
6.	Turnover of the applicant	
7.	Experience in similar Projects	
8.	Address: (a) Permanent (b) Present (c) e-mail (d) Fax (e) Telephone No. (f) Mobile No.	

AUTHORISED SIGNATORY

Downloaded from www.upsrtc.com

आर्कीटेक्ट सूचीबद्ध किये जाने हेतु चयन के आधार

आर्कीटेक्ट को सूचीबद्ध किये जाने हेतु चयन के आधार निम्नवत् होंगेः–

1– उच्चतर वार्षिक टर्न ओवर (वर्श की आडिटैड बैलेन्स भीट संलग्न करें)।

2– अनुभव की अवधि।

3– बस स्टे ान डिजाइन के अनुभवी फर्मों को प्राथमिकता।

प्रोजेक्ट आवंटन की प्रकिया

निगम द्वारा वर्गीकृत श्रेणियों में से **''सुपर ए'', ''ए'', ''बी'' श्रेणी** के बस स्टे ानों से सम्बन्धित परियोजना हेतु सूचीबद्ध सभी फर्मों से कन्सेप्चुअल डिजाइन आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त कन्सेप्चुअल डिजाइन में से सर्वश्रेश्ठ/उपयुक्त डिजाइन का चयन कर प्रोजेक्ट का आवंटन किया जायेगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

<u>उ0प्र0 परिवहन निगम में भवन कार्यों हेतु आर्कीटेक्ट सूचीबद्ध किये जाने हेतु भार्ते</u>

आर्कीटेक्चरल/स्ट्रक्चरल/प्राक्कलन विरचन के कार्यों हेतु दरें निम्नवत् निर्धारित की जाती है।

1— <u>कार्यों का विवरण एवं दरें:—</u>

(अ) विस्तृत आर्कीटेक्चरल डिजाइन एवं ड्राइंग्स/स्ट्रक्चरल डिजाइन, ड्राइंग्स एवं विस्तृत प्राक्कलनः—

1.	किसी भी सीमा तक की योजना लागत के आर्कीटेक्चरल डिजाइन ड्राइंग/स्ट्रक्चरल डिजाइन ड्राइंग सहित विस्तृत प्राक्कलन 6 प्रतियाँ में।	कार्य की लागत (सेन्टेज, विद्युत सम्बन्धित यंत्र—सयंत्र एवं समस्त संयोजनों को छोड़कर) का 1.50 प्रति ात।

यदि किसी प्रकरण वि□ोश में योजना से सम्बन्धित, मात्र स्केच डिजाइन एवं प्रारम्भिक प्राक्कलन किसी आर्कीटेक्ट से बनवाया जाता है तो उसके लिये आर्कीटक्चरल सेवाओं हेतु रू0 30,000/— देय होगा।

(ब) यदि किसी कार्य वि ोश हेतु केवल आर्कीटेक्चरल अथवा स्ट्रक्चरल डिजाइन, ड्राइंग करायी जाती है, तो उसके लिये निम्नानुसार दरों की भुगतान किया जायेगा।

क	आर्कीटेक्चरल डिजाइन, ड्राइंग एवं विस्तृत प्राक्कलन हेतु	1.0 प्रति ात
ख	स्ट्रक्चरल डिजाइन, ड्राइंग हेतु	0.50 प्रति ात

उपरोक्त दर सूचियों में अंकित दर के अनुसार फीस की देय धनरा□ि की गणना हेतु कार्य की लागत में, प्रांगण में मिट्टी/बालू भराई, प्रांगण का फ□ि, विद्युत सम्बन्धित यंत्र—सयंत्र एवं अन्य संयोजनों पर होने वाले व्यय को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

2– स्कोप आफ वर्क एवं भार्ते

1– प्रारम्भिक प्राक्कलन एवं डिजाइन के आधार पर कार्य स्वीकृत होने पर विस्तृत आर्कीटेक्चरल डिजाइन ड्राइंग हेतु आर्कीटेक्ट की नियुक्ति निगम में इम्पैनलमेंट आर्कीटेक्चरल फर्मों में से की जायेगी। आर्कीटेक्ट को विस्तृत डिजाइन एवं ड्राइंग के सम्बन्ध में कार्यादे ा मिलने के प चात् उसके द्वारा सबसे पहले विस्तृत आर्कीटक्चरल डिजाइन को दो प्रतियों में सक्षम अधिकारी से विचार–विम र्ा के प चात उसके अनुमोदन हेतु प्रेशित करनी होगी। आर्कीटेक्ट को निगम के सम्बन्धित अधि ाासी अभियन्ता के साथ विचार–विम र्ा कर एवं स्वीकृत लागत के आधार पर आव यक सं ाोधन (फेर बदल) का प्रस्तावित आर्कीटेक्चरल डिजाइन/ड्राइंग प्रस्तुत करना होगा।

2– विस्तृत आर्कीटेक्चरल डिजाइन/ड्राइंग पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के प चात आर्कीटेक्ट द्वारा वर्किंग ड्राइंग तैयार की जायेगी। आर्कीटेक्चरल ड्राइंग के आधार पर स्ट्रक्चरल डिजाइन करायी जायेगी। स्ट्रक्चरल डिजाइन के अनुमोदन के प चात ही विस्तृत वर्किंग ड्राइंग तैयार की जायेगी। विस्तृत आर्कीटेक्चरल वर्किंग ड्राइंग के 6–6 सेट तैयार कर के उपलब्ध कराने होंगे, जिसमें निम्नलिखित सेवाओं के डिजाइन/ड्राइंग का समावे ा होगा तथा इसी के अनुसार कार्यस्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। विस्तृत आर्कीटेक्चरल डिजाइन/ड्राइंग पर आर्कीटेक्ट के हस्ताक्षर एवं मुहर होने चाहिये।

1– वाटर सप्लाई प्लान आन्तरिक एवं वाह्य दोनों कार्यों हेतु।
2– सीवरेज प्लान।
3– ड्रेनेज प्लान।
4– प्लाम्बिंग प्लान।
5– वाटर प्रूफिंग प्लान (फाण्उडे ान, बेसमेंट, प्लिंथ लेविल एवं छत लेविल पर या अन्य कही जहां पर आव यकता होगी)।
6– बाउण्ड्रीवाल एवं गेट प्लान।
7– इलेक्ट्रिकल प्लान।
8– टेलीफोन एवं इन्टरकाम केबिल प्लान।
9– फायर फाइटिंग प्लान।

Downloaded from www.upsrtc.com

10— भवन के चारों ओर पेवमेंट, सुन्दरीकरण, पार्किंग, चौकीदार गुमटी एवं अन्य सेवाओं का प्लान इत्यादि।

उपरोक्त समस्त प्लान पर आर्कीटेक्ट को निर्माण हेतु निर्गत का प्रमाण–पत्र अंकित करना होगा।

3— आर्कीटेक्ट को सम्बन्धित विकास प्राधिकरण अथवा अन्य संस्थाओं के सक्षम अधिकारी से भवन के प्लान की स्वीकृति करानी होगी। स्वीकृत कराने हेतु नियमानुसार जो फीस आर्कीटेक्ट द्वारा दी जायेगी, उसका भुगतान/भुगतान की प्रतिपूर्ति मूल रसीद प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

4— आर्कीटेक्ट द्वारा किसी स्ट्रक्चर वि ोश के लिये दी गयी आर्कीटेक्चरल डिजाइन (यदि अन्य योजना पर आव यकतानुसार उपयोग करना पड़ता है) की पुनरावृत्ति के लिये प्रथम फीस का 50 प्रति ात भुगतान किया जायेगा।

5— उपरोक्त दरों में आर्कीटेक्ट का निगम की आव यकता के अनुरूप तीन बार कार्यस्थल निरीक्षण व्यय भी सम्मिलित है।

6— ऐसे कार्य जिसमें टिपीकल एवं महत्वपूर्ण आर0सी0सी0 स्ट्रक्चर (अपर जला ाय एवं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर आदि) का प्रयोग होना है, की विस्तृत स्ट्रक्चरल डिजाइन की जांच सम्बन्धित आर्कीटेक्ट द्वारा निगम के अधि ाासी अभियन्ता के निर्दे ाानुसार आई0आई0टी0/अन्य ख्याति प्राप्त इंजीनियरिंग कालेज अथवा सम्बन्धित क्षेत्र में वि ोश ख्याति प्राप्त प्रोफेसर से कराई जानी होगी, जिसका **भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा**, एवं जांच में उठाये गये बिन्दुओं या इंगित कमियों को दूर कर 6–6 प्रतियों में स्ट्रक्चरल डिजाइन/ड्राइंग व कैलकूले ान डिजाइनर द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

7— समस्त रिन्फोर्समेंट की बार–वेंडिंग ि ाड्यूल 6 प्रतियों में प्रस्तुत की जायेगी।

8— सम्बन्धित विभिन्न स्ट्रक्चर में जितना कुल लोहा डिजाइन के अनुसार लगाया जाना है, उसका भार भी सूचित करना होग।

9— एक्सपें ान एवं कन्स्ट्रक ान ज्वाइंट्स की स्थिति/प्रकार भी ड्राइंग में द ार्ायी जायेगी।

10— विस्तृत आर्कीटेक्चरल डिजाइन एवं ड्राइंग अनुमोदित हो जाने के प चात दो सप्ताह के अन्दर अधि ाासी अभियन्ता के साथ मिलकर विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने के प चात सम्बन्धित अधि ाासी अभियन्ता को उपलब्ध करानी होगी, जिसमें कार्य वि ोश हेतु निर्धारित स्पे िाफिके ान पर आधारित डिटेल्स आफ मेजरमेंट एनालिसिस आफ रेट्स, अब्सट्रेक्ट आफ फास्ट, सामग्री की खपत का ब्यौरा एवं वि ोश आयटम्स यथा–एल्युमिनियम होर्स, विण्डोज, हैण्ड रेल्स, वाटर प्रूफिंग एवं अन्य आव यक स्पे िाफिके ान एवं अभिलेखों का समावे ान होगा। कार्य आवंटित होने के तुरन्त बाद सम्बधित अधि ाासी

Downloaded from www.upsrtc.com

अभियन्ता द्वारा कार्य वि ोश में प्रयुक्त होने वाले समस्त आयटम्स की दर वि लेशण बनाकर आर्कीटेक्ट को उपलब्ध कराना होगा।

11– विस्तृत प्राक्कलन सम्बन्धित यूनिट से जांच करने के प चात आर्कीटेक्ट समस्त अ ुद्धियों को दूर कर विस्तृत प्राक्कलन की 6 स्वच्छ प्रतियां काम्ब बाइण्डिग कराकर सम्बन्धित अधि ाासी अभियन्ता को दो सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे।

12– विस्तृत प्राक्कलन में दरें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग एवं दिल्ली दर अनुसूची के अनुसार जैसी आव यकता हो लिये जायेगे। जिन आयटम्स के दर उपरोक्त ाि ड्यूल में न हो उनकी विस्तृत दर वि लेशण वर्तमान बाजार भाव के अनुसार बनाकर विस्तृत प्राक्कलन के साथ संलग्न करना होगा। यदि किसी कारण वि ोश किसी कार्य हेतु स्वीकृत फीस से अधिक फीस देने का प्र न उत्पन्न होता है तो मामले वि ोश की स्वीकृति अधि ाासी अभियन्ता से प्राप्त करने के प चात ही आर्कीटेक्ट डिजाइनर की नियुक्ति की जायेगी।

13– आर्कीटेक्ट द्वारा यह सुनि ित किया जोगा कि कार्य वि ोश का डिटेल्ड आर्कीटेक्चरल डिजाइन, स्पे ाफिके ान तथा प्राक्कलन अनिवार्य रूप से भाासन/क्लाइंट द्वारा स्वीकृत भवन की श्रेणी/स्पे ाफिके ान के अनुरूप ही होगा। ऐसा देखा गया है कि कतिपय मामलों में आर्कीटेक्ट द्वारा बी श्रेणी के भवन में गुम्बद इत्यादि अनाव यक फीचर्स देकर भवन की लागत एवं स्पे ाफिके ान का अतिक्रमण किया। इस प्रकार की प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति न की जाय, ताकि भवन की लागत मूल लागत से अधिक न हो।

(3) **भुगतान की प्रकियाः–**

(अ) आर्कीटेक्चरल/स्ट्रक्चरल डिजाइन के देयकों का भुगतान सम्बन्धित अधि ाासी अभियन्ता द्वारा पारित किया जायेगा। आर्कीटेक्ट की विस्तृत आर्कीटेक्चरल/स्ट्रक्चरल डिजाइन, ड्राइंग एवं प्राक्कलन हेतु देय कुल भुगतान का 10 प्रति ात धनरा ि, योजना में प्रस्वाति समस्त कार्य का यूनिट द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को हस्तानान्तरण प्रपत्र प्रेशित किये जाने के प चात ही भुगतान की जायेगी। अतः इस सम्बन्ध में वांछित कटौती प्रत्येक देयक से की जायेगी। भाासन द्वारा लागू प्रक्रिया के अनुसार आर्कीटेक्चरल /स्ट्रक्चरल डिजाइन के देयक से नियमानुसार आयकर, आव यक प्रोफे ानल कर की कटौती की जायेगी। सम्बन्धित अधि ाासी अभियन्ता यह सुनि ित करेंगे कि प्रोजेक्ट फोरम्यूले ान (PROJECT FORMULATION) पूर्व आर्कीटेक्ट द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण आव य कर लिया गया है। विस्तृत आर्कीटेक्चरल/स्ट्रक्चरल कार्य हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आर्कीटेक्ट के साथ अनुबन्ध किया जायेगा। कार्य की लागत से तात्पर्य योजना की मूल स्वीकृत लागत से है।

Downloaded from www.upsrtc.com

क्रमांक	कार्य की स्थिति	देय फीस	कम्युलेटीव फीस	अवधि
1	विस्तृत ड्राइंग समस्त डिटेल्स सहित 6 प्रतियों में प्रस्तुत करने पर।	10 प्रति ात	10 प्रति ात	ले–आउट एवं प्लान अनुमोदित होने के प चात 15 दिन तक
2	इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, वाटर प्रूफिंग, टेलीफोन आदि की ड्राइंग प्रस्तुत करने पर।	15 प्रति ात	25 प्रति ात	क्रमांक 1 में द ार्यी गयी अवधि के प चात एक सप्ताह तक
3	वाह्य स्थल विकास एक्सटरनल सर्विसेस एवं अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित ड्राइंग 6 प्रतियों में प्रस्तुत करने पर।	45 प्रति ात	70 प्रति ात	क्रमांक 2 में द ार्यी गयी अवधि के प चात एक सप्ताह तक
4	समस्त त्रुटियों का निराकरण कर विस्तृत प्राक्कलन एवं स्ट्रक्चरल ड्राइंग/डिजाइन तथा अन्य विवरण की 6 प्रतियों सम्बन्धित अधि ाासी अभियन्ता को उपलब्ध कराने पर।	20 प्रति ात	90 प्रति ात	क्रमांक 1 में द ार्यी गयी अवधि के प चात एक सप्ताह तक
5	अव ोश 10 प्रति ात भुगतान जो सिविल कार्य की फिनि िंग के प चात भुगतान किया जायेगा।			

आर्कीटेक्ट को सम्बन्धित कार्य की मूल स्वीकृत लागत पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा, कार्य वि ोश के पुनरीक्षित लागत पर आर्कीटेक्ट/डिजाइनर को कोई भुगतान अनुमन्य न होगा।

4– **<u>स्थल निरीक्षण</u>**

आर्कीटेक्ट के तीन स्थलीय निरीक्ष्ण के अतिरिक्त अन्य निरीक्षणो हेतु निम्न भार्तों के अधीन यात्रा भुल्क देय होगाः–

Downloaded from www.upsrtc.com

1. आर्कीटेक्ट द्वारा स्थल निरीक्षण के समय सम्बन्धित अधिकारियों से किये गये विचार–विम र्ा से सम्बन्धित कार्यवृत्त प्रस्तुत करना होगा।
2. आर्कीटेक्ट को आने–जाने हेतु द्वितीय श्रेणी ए0सी0 रेल किराया देय होगा। जिन स्थानों पर रेल सुविधायें उपलब्ध नहीं है, वहां पर टैक्सी द्वारा किये गये वास्तविक व्यय रसीद प्रस्तुत करने पर देय होगा।
3. आर्कीटेक्ट को लखनऊ से बाहर की यात्रा हेतु रू0 300/– प्रतिदिन की दर से भत्ता देय होगा।
4. आर्कीटेक्ट को यात्रा के दौरान होटल में ठहरने हेतु निम्नानुसार होटल चार्जेज रसीद प्रस्तुत करने पर देय होगाः–

(क)	मैट्रोपोलिटन भाहर हेतु	रू0 800.00 प्रतिदिन
(ख)	उ0प्र0 के प्रथम श्रेणी के भाहर/ अन्य राज्यों के भाहर हेतु	रू0 500.00 प्रतिदिन
(ग)	उ0प्र0 के अन्य भाहरों हेतु	रू0 300.00 प्रतिदिन

5– <u>पेनाल्टीः–</u>

आर्कीटेक्ट द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार डिजाइन/ड्राइंग एवं विस्तृत आगणन उपलब्ध न कराये जाने की द ा में उन पर अनुमन्य फीस का एक प्रति ात प्रतिदिन (अधिकतम 10 प्रति ात) पैनाल्टी/दण्ड लगाया जा सकता है तथा तत्प चात नियुक्ति आदे ा निरस्त भी किया जा सकता है।

6– <u>नियुक्ति निरस्त होने की द□ाः–</u>

आकीटेक्ट की नियुक्ति निम्नलिखित स्थितियों में निरस्त की जा सकती हैः–

1. निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्य न करना।
2. सही ड्राइंग/डिजाइन/विस्तृत प्राक्कलन न प्रस्तुत करना।
3. सम्बन्धित अधिकारी के अनुरोध पर स्थल निरीक्षण न करना।
4. सम्बन्धित अधिकारी को वांछित जानकारी/ड्राइंग समय से उपलब्ध न कराना।

Downloaded from www.upsrtc.com